बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0–निग / सारा–1 (पथ) एन0एच0–87 / 2013 58 (S) पटना, दिनांक :– 03/1/18

श्री सुरेश कुमार दास, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, कोचस स्थित मोहनियाँ सम्प्रति : सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या–1, सहरसा, पथ प्रमंडल, सहरसा द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, कोचस स्थित मोहनियाँ के पदस्थापन काल में मोहनियाँ चेक पोस्ट के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आरोप के लिए श्री दास के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4976 (एस) अनु0 दिनांक–04.06.15 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–67 / एम0सी0 दिनांक–17.08.15 के द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अंतर्गत संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' के तहत गठित कुल 9 (नौ) आरोपों में से 8 (आठ) आरोपों के प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में श्री दास से विभागीय पत्रांक–9540 (एस) अनु0 दिनांक–07.10.15 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री दास द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया।

4. श्री दास द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया :–

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, कोचस एट मोहनियाँ के अन्तर्गत दिनांक–28.02.17 तक पदस्थापित होने की अवधि में दिनांक–07.07.10 से 06.01.13 तक आलोच्य पथ के निर्माण के दौरान प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन में पायी गयी त्रुटियों के लिए लगाये गये कुल 9 आरोपों में से कोई भी आरोप किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं होने का उल्लेख किया गया। साथ हीं, आरोपों के संदर्भ में यह भी उल्लेखित किया गया कि विशिष्टि के अनुरूप कार्य कराने के बाद जल जमाव एवं DLP Enforce नहीं कराये जाने के कारण पथ क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि उनका स्थानान्तरण DLP अवधि के पूर्व ही हो गया था। इस प्रकार, विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान महत्वपूर्ण तकनीकी बिन्दुओं का सही संदर्भ में विश्लेषण नहीं किया गया।

5. श्री दास से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत पाया गया कि मोहनियाँ चेक पोस्ट के अपर साईड में 2nd lane में Toll Booth की तरफ लगभग 100 मी0 की लंबाई में पथ परत (बिटुमिनस परत सहित) पूर्णतः क्षतिग्रस्त पाये जाने, अपर साईड के 3rd lane से 8th lane तक, 9th lane एवं 10th lane में Toll Booth के पास पथ परत पूर्णतः क्षतिग्रस्त पाये जाने, पथ में undulations एवं बड़े बड़े गहरे पॉट्स पाये जाने, लोअर साईड में तीनों lane पूर्णतः क्षतिग्रस्त पाये जाने, पथ के DLP के अन्तर्गत रहने के बावजूद DLP को Enforce नहीं कराये जाने, DBM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा प्रावधान से कम पाये जाने, BC कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन ओभर साईज पाये जाने एवं BC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा प्रावधान से कम पाये जाने

के लिये गठित आरोपों के संबंध में ऐसा कोई ठोस तथ्य अथवा साक्ष्य नहीं रखा गया, जिसके आधार पर उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोप को क्षांत किया जा सके। फलतः श्री दास का द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. श्री दास से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों का दोषी पाते हुए श्री सुरेश कुमार दास के विरूद्ध **तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने के दंड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।**

7. उक्त अनुमोदित दंड वृहत शास्ति के अन्तर्गत होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (7) एवं नियम 20 के परन्तुक के प्रावधानों के क्रम में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–2609 दिनांक–13.09.06 में सन्निहित निदेशों के आलोक में वृहत दंडों को अधिरोपित किये जाने के पूर्व विभागीय पत्रांक–8621 (एस) अनु0 दिनांक–21.10.16 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अनुमोदित दंड पर सहमति/परामर्श की मांग की गयी। उक्त मांगे गये परामर्श/सहमति के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–686 दिनांक–28.06.17 द्वारा अनुमोदित दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त किया गया।

8. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में प्रस्तुत मामले में संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के तहत प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए सम्यक् विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–6149 (एस) दिनांक–10.07.17 द्वारा श्री सुरेश कुमार दास, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, कोचस स्थित मोहनियाँ सम्प्रति : सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या–1, सहरसा, पथ प्रमंडल, सहरसा के विरूद्ध **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (vi) के तहत निम्न दंड संसूचित किया गया :–**

(i) संचयात्मक प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

9. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री दास के अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–24.07.17 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसकी विभागीय समीक्षा के उपरांत पाया गया कि पुनर्विचार अभ्यावेदन की कंडिका–3, 7 एवं 8 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि DBM में अलकतरा की मात्रा कम पाया गया एवं BC में Meterial Over size पाये गये, जो उनसे संबंधित नहीं है। यह भी अंकित किया गया कि–पथ परत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ एवं बड़े–बड़े गड्ढ़े हुए–परन्तु उसका कारण अन्य तत्वों अथवा परिस्थितियों अर्थात मुख्य रूप से जी0टी0 रोड के निर्माण में वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता सही नहीं होने एवं चेक पोस्ट के लिए मोहनियाँ एवं डोभी में बिटुमिनस कार्य की स्वीकृति आदि–जिसे नया तथ्य माना जा सकता है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक एवं After Thought प्रतीत होता है, क्योंकि श्री दास के द्वारा पूर्व में संचालित विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में ऐसा कोई तर्क अथवा तथ्य नहीं रखा गया था।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री दास के पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक–24.07.17 को सम्यक विचारोपरांत एवं सरकार के निर्णयानुसार अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29/01/18

सरकार के उप सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

P.T.O